



स्वच्छ भारत मिशन जनभागीदारी से बदलाव की नई तस्वीर

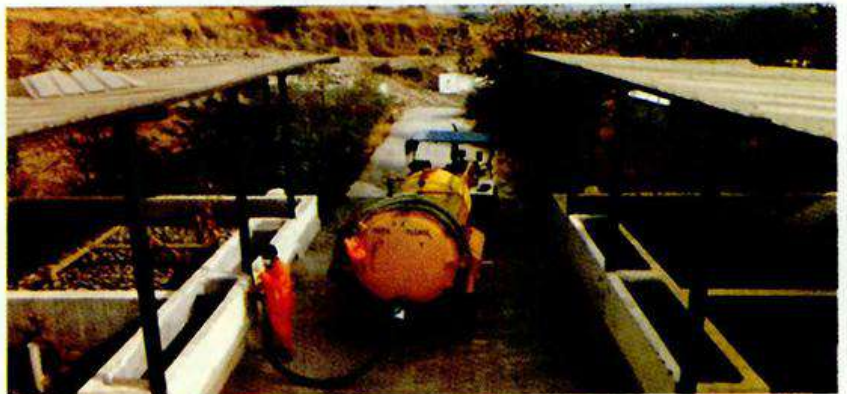
‘विकसित भारत@2047’ की परिकल्पना में ‘स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत’ का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी आधारशिला ऐसे सशक्त समुदाय हैं जो राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय योगदान देते हैं। ये समुदाय स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का समुचित रखरखाव कर के, बीमारियों का बोझ कम कर के और स्वस्थ जीवन के अनुकूल वातावरण बनाकर जनस्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) गर्व और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ हमारे गांवों तथा पूरे देश को स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक सशक्त ‘विकसित भारत@2047’ की ओर ले जाने वाली इस परिवर्तनकारी यात्रा को निरंतर गति दे रहा है।

भारत में जनस्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से वर्ष 2014 का विशेष महत्व रहा। 15 अगस्त, 2014 को अपने दूरदर्शी संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश का ध्यान खुले में शौच के कारण हमारी माताओं और बहनों के सामने आने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों और अपमान की ओर आकृष्ट किया। गांवों की गरीब महिलाएं शौच के लिए बाहर जाने हेतु रात होने की प्रतीक्षा करने को विवश थीं और इस दौरान उन्हें असहनीय शारीरिक कष्ट सहना पड़ता था। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं की गरिमा की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसके लिए शौचालयों का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। दो अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम-जी) के शुभारंभ के साथ देश ने एक महत्वाकांक्षी, जन-आकांक्षाओं से प्रेरित और उत्साहवर्धक यात्रा आरंभ की। पिछले 12 वर्षों में इस यात्रा ने न केवल ग्रामीण स्वच्छता के परिदृश्य को बदल दिया है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की करोड़ों महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन भी प्रदान किया है। इस मिशन ने करोड़ों महिलाओं को सशक्त बनाया है तथा दस्त संबंधी बीमारियों में कमी लाने, बच्चों के पोषण में सुधार करने और मातृ स्वास्थ्य की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

खुले में शौच से मुक्ति: एक ऐतिहासिक उपलब्धि

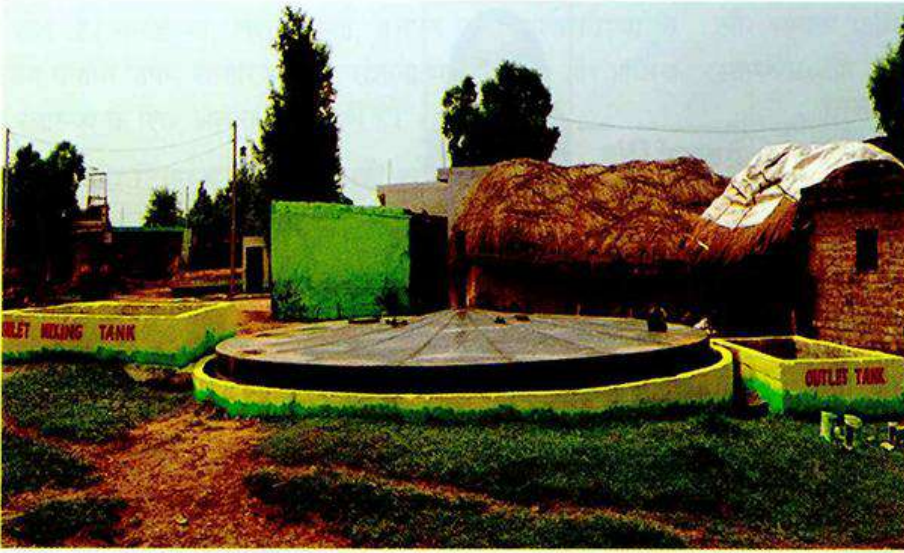
स्वच्छ भारत मिशन की विकास-यात्रा इस बात का प्रमाण है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, समावेशी

नीति-निर्माण, सरकार के सभी विभागों के समन्वित प्रयास, लक्ष्य-केंद्रित क्रियान्वयन और जनभागीदारी किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम को ऐसे जनांदोलन में बदल सकते हैं, जिसमें नागरिक ही नहीं, बच्चे भी विकास और राष्ट्र-निर्माण के सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। वर्ष 2014 से 2019 के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) और 67 हजार से अधिक सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण किया गया। इन सुविधाओं ने सुरक्षित स्वच्छता सुनिश्चित करने के साथ-साथ मल-मुख मार्ग से फैलने वाले संक्रमण के उस दुष्चक्र को भी तोड़ा, जो लंबे समय से कुपोषण और खराब स्वास्थ्य का कारण बना हुआ था। वर्ष 2014 में ग्रामीण स्वच्छता का दायरा लगभग 39 प्रतिशत था, जो वर्ष 2019 में बढ़कर



मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में क्लस्टर आधारित ग्रामीण मल कीचड़ उपचार संयंत्र

लेखिका भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल तथा स्वच्छता विभाग में स्वच्छ भारत मिशन की संयुक्त सचिव और राष्ट्रीय मिशन निदेशक हैं। ईमेल: js-sbm@gov.in



जम्मू-कश्मीर के जम्मू जिले में गोवर्धन प्लांट

100 प्रतिशत हो गया। दो अक्टूबर, 2019 तक भारत के सभी जिलों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया था।

खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि थी। इस मुकाम तक पहुंचने की यात्रा में साहस की अनगिनत कहानियां और अथक प्रयास जुड़े थे। जनभागीदारी के माध्यम से देशभर के लोगों ने इस कार्यक्रम को अपना अभियान बना लिया था। व्यवहार परिवर्तन, व्यापक सामुदायिक भागीदारी और सामूहिक स्वामित्व की भावना पर आधारित सामुदायिक दृष्टिकोण इसके क्रियान्वयन की आधारशिला बना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की हमारी माताओं, बेटियों और बहनों की गरिमा सुनिश्चित करने तथा उन्हें सुरक्षित स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरा भारत एकजुट हुआ। यह संभवतः विश्व के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन-आंदोलनों में से एक था।

ओडीएफ से ओडीएफ प्लस की ओर

आगे बढ़ते हुए, वर्ष 2020 में एसबीएम (जी) 2.0 की शुरुआत की गई। इसमें खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखने, ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा साफ-सफाई को प्रत्यक्ष रूप से बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसका उद्देश्य गांवों को ओडीएफ से आगे बढ़ाकर ओडीएफ प्लस (मॉडल) गांवों में बदलना है। समान बजटीय आवंटन के साथ इस कार्यक्रम की अवधि वित्त वर्ष 2026-27 तक बढ़ा दी गई है। वर्ष 2014 से अब तक इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 12.17 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय और 2.78 लाख से अधिक सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जा चुका है।

ये आंकड़े निश्चित रूप से उल्लेखनीय हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये महज आंकड़े नहीं हैं। इनके पीछे ग्रामीण परिवारों की उतनी ही, बल्कि उससे भी अधिक महिलाओं के जीवन में आया बदलाव है, जिन्हें अब खुले में शौच जाने की पीड़ा और शर्मिंदगी

से मुक्ति मिली है। आज ये महिलाएं सम्मान और स्वाभिमान के साथ सिर ऊंचा कर के जीवन जी रही हैं।

एसबीएम (जी) 2.0 स्वच्छता के बुनियादी ढांचे से आगे बढ़ते हुए गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट के स्थायी प्रबंधन की व्यवस्था विकसित करने की दिशा में एक स्वाभाविक प्रगति को दर्शाता है। घर और सामुदायिक स्तर पर अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन, ग्रे-वॉटर, प्लास्टिक अपशिष्ट और मलजनित अपशिष्ट प्रबंधन, गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज-धन) पहल तथा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली स्वच्छता को अब अलग-अलग गतिविधियों के रूप में नहीं देखा जाता। शौचालयों के साथ-साथ

ये सभी इस कार्यक्रम के परस्पर जुड़े हुए महत्वपूर्ण घटक हैं।

जनभागीदारी से मजबूत होता स्थानीय शासन

स्वच्छता राज्य का विषय है और देश की विविधता को देखते हुए एसबीएम (जी) 2.0 की मूल संरचना विकेंद्रीकृत रखी गई है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना की रूपरेखा तथा संचालन और वित्तपोषण संबंधी मानदंडों का पालन करते हुए स्थानीय परिस्थितियों, प्राथमिकताओं और अन्य आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त समाधान चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके साथ ही, जनभागीदारी एसबीएम (जी) 2.0 की एक प्रमुख प्रेरक शक्ति बनी हुई है, जिससे यह बदलाव स्वयं समुदायों की भागीदारी और नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है।

ग्राम पंचायत और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की भागीदारी से ग्राम स्तर पर योजनाएं तैयार करने तथा स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी प्राथमिकताओं को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में शामिल करने की यह प्रक्रिया, जमीनी स्तर पर विकास के लिए सरकार के सभी अंगों के समन्वित प्रयासों और जनभागीदारी पर आधारित दृष्टिकोण को दर्शाती है।

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) को तैयार करने और लागू करने से स्थानीय शासन और नागरिक सशक्तीकरण को भी मजबूती मिली है। इससे पंचायतों को समुदाय की आवश्यकताओं की पहचान करने, विकास कार्यों की योजना बनाने, वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करने तथा पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से प्रगति की निगरानी करने में सहायता मिली है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 के अंतर्गत 15वें/16वें वित्त आयोग के अनुदानों तथा विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी (वीबी-जी राम जी) के साथ वित्तीय समन्वय ने ग्राम पंचायतों के लिए यह आवश्यक बना दिया है कि वे अपनी पंचायतों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी

आवश्यकताओं का आकलन करें, उनके समाधान की योजना बनाएं और उन पर समग्र रूप से कार्य करें।

स्वच्छता संबंधी परिसंपत्तियों की अनिवार्य जियो-टैगिंग, मोबाइल आधारित सत्यापन, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), एसएनए-स्पर्श, डिजिटल निगरानी मंचों और विभिन्न स्तरों पर सत्यापन की व्यवस्था से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेही और वास्तविक समय में निगरानी और अधिक सुदृढ़ हुई है।

5.18 लाख से अधिक ओडीएफ प्लस गांव

वर्ष 2020 में शुरू होने के बाद से यह कार्यक्रम उल्लेखनीय प्रगति कर चुका है। 24 जुलाई, 2026 तक 5.18 लाख से अधिक गांवों ने स्वयं को ओडीएफ प्लस (मॉडल) घोषित किया है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पूरे ग्रामीण भारत में पंचायतें, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह, आम नागरिक, युवा, स्कूली बच्चे, स्वच्छाग्रही और स्थानीय नेतृत्वकर्ता इस कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं तथा व्यवहार में बदलाव के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। 'स्वच्छता ही सेवा' और 'स्वच्छता पखवाड़ा' जैसे राष्ट्रीय अभियान जनभागीदारी के साथ शासन के सभी स्तरों के समन्वित प्रयासों को और मजबूती देते हैं। इससे स्वच्छता हर व्यक्ति का सरोकार और सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बन रही है।

बेहतर स्वच्छता, बेहतर स्वास्थ्य

स्वतंत्र अध्ययनों ने भी मिशन के व्यापक और परिवर्तनकारी प्रभाव की पुष्टि की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2014 से 2019 के बीच डायरिया से होने वाली लगभग तीन लाख मौतों को रोका जा सका। यूनिसेफ के अध्ययन में पाया गया कि ओडीएफ गांवों के परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले खर्च में कमी के कारण प्रतिवर्ष लगभग 50,000 रुपये की बचत हुई और मानव मल के कारण भूजल प्रदूषण का खतरा भी काफी कम था। 'नेचर' में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, इस मिशन के कारण हर वर्ष हजारों बच्चों की असमय मृत्यु को रोका जा सका।

इस प्रकार, स्वच्छ भारत मिशन केवल ग्रामीण स्वच्छता अवसंरचना के निर्माण तक सीमित सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है,

बल्कि इसकी भूमिका इससे कहीं अधिक व्यापक रही है। अवसंरचना निर्माण के साथ-साथ, इसने पीढ़ियों से चले आ रहे और गहरी जड़ें जमाए हुए व्यवहारों तथा सामाजिक मानदंडों में भी धीरे-धीरे किंतु दृढ़तापूर्वक बदलाव लाया है और साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 में व्यवहार परिवर्तन का एक और लक्ष्य यह है कि ग्राम पंचायतें और ग्रामीण समुदाय स्थापित की जा रही सामुदायिक परिसंपत्तियों को अपना मानें तथा उनके संचालन और रखरखाव में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जनभागीदारी का यह अगला चरण सुनिश्चित करेगा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा गांवों में स्थापित की जा रही ये परिसंपत्तियां सुचारु रूप से कार्य करती रहें, आत्मनिर्भर हों तथा वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य बनी रहें। इससे इनके परिणाम दीर्घकाल तक कायम रह सकेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में स्वच्छता राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुकी है। राष्ट्र के नाम उनके मासिक संबोधन 'मन की बात' में भी इसे महत्वपूर्ण स्थान मिला है। दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्थिर राजनीतिक नेतृत्व और नागरिक सहभागिता के मेल ने स्वच्छता को जन-विमर्श के केंद्र में ला दिया है।

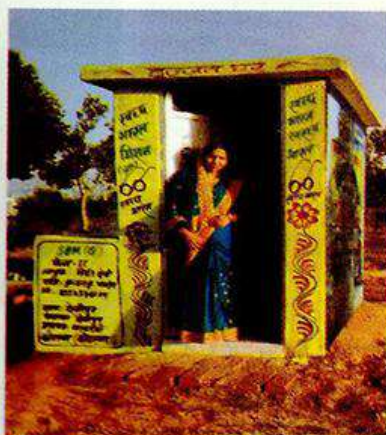
जनभागीदारी और सशक्तीकरण से 'विकसित भारत' की ओर

स्वच्छ भारत मिशन शासन-व्यवस्था में उस बदलाव का उदाहरण है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और जनभागीदारी पर आधारित होने के साथ-साथ नागरिकों की आकांक्षाओं के प्रति भी संवेदनशील है। यह मिशन बताता है कि परिणामों को लंबे समय तक बनाए रखने और विकास को स्थायित्व देने के लिए नागरिकों को सरकारी कार्यक्रमों को अपना मानना होगा। जब नागरिक किसी सरकारी कार्यक्रम के केवल लाभार्थी न रहकर उसके क्रियान्वयन, संचालन एवं रखरखाव और स्वच्छता का संदेश जन-जन तक पहुंचाने में बराबर के भागीदार तथा हितधारक बनते हैं, तभी सच्चे अर्थों में नागरिक सशक्तीकरण होता है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने इसी भावना को साकार किया है। यही सशक्तीकरण स्वस्थ समुदायों की नींव रखता है, जलस्रोतों को सुरक्षित बनाता है और दस्त तथा वाहक-जनित रोगों के खतरे को कम करता है।

ऐसा 'स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत', जहां सशक्त समुदाय राष्ट्र-निर्माण में योगदान देते हों, 'विकसित भारत@2047' की परिकल्पना का अभिन्न अंग है। ये समुदाय स्वच्छता सुविधाओं का समुचित रखरखाव कर के, बीमारियों का बोझ कम कर के और अधिक स्वस्थ जीवन-परिवेश को बढ़ावा देकर जनस्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) गर्व और दृढ़ संकल्प के साथ हमारे गांवों तथा समूचे भारत को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त 'विकसित भारत@2047' की ओर ले जाने वाली परिवर्तनकारी यात्रा को निरंतर गति दे रहा है। □



उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय



झारखंड के कोडरमा जिले में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय